राज्यसभा

अतारांकित प्रश्ने संख्यार1411

09 मार्च, 2016 को उत्तयरके लिए

यूरोप और चीन के इस्पात बाजारों में संकट का प्रभाव

1411. **श्री एन. गोकुलकृष्णन:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत यूरोप और चीन के इस्पात बाजारों में संकट को किस तरह देखता है;

(ख) उक्त संकट किस प्रकार घरेलू भारतीय इस्पात कंपनियों के साथ-साथ विदेश में संचालित भारतीय इस्पात कंपनियों को प्रभावित करता है; और

(ग) मंत्रालय भारतीय कंपनियों को इस संकट से निबटने में किस प्रकार मदद करने जा रहा है?

उत्तगर

इस्पायतऔर खान मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): विश्वह स्त रीय इस्पा त उद्योग गिरावट के दौर से गुजर रहा है। मांग में गिरावट होने और विश्व स्त:र पर आवश्य कता से अधिक क्षमता विद्यमान होने के परिणाम स्वेरूप इस्पा त की अंतराष्ट्रीयय कीमतें बहुत कम हो गई है। इस्पानत के प्रमुख उत्पामदक देश विशेषत: चीन कीमत निर्धारण की एक लूटमार नीति को अपना रहा है और स्पपष्ट रूप से अपनी उत्पा दन लागत से कम कीमतों पर निर्यात कर रहा है ताकि यूरोप और भारत जैसे बाजारों में पकड़ बन सकें। इसके परिणामस्वपरूप, विश्वप स्त र पर इस्पाित कंपनियों और भारतीय इस्पा ात उद्योग की लाभप्रदता में भी गिरावट आई है।

(ग): इस्पा्त क्षेत्र को सुरक्षित बनाने और इसे अधिक प्रतिस्पयर्धात्म क बनाने के लिए सरकार ने अब तक निम्न लिखित उपाय किये है:-

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्तान युक्तक इस्पापत का उत्पामदन या आयात हो, सरकार ने इस्पाकत और इस्पावत उत्पाक(द गुणवत्ताक नियंत्रण) आदेश, 2012, दिनांक 12.03.2012 तथा इस्पानत और इस्पापत उत्पा्द (गुणवत्ता(नियंत्रण) आदेश , 2015 , दिनांक 15.12.2015 अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) घरेलू इस्पा्त उद्योग के लिए कोयला और लौह अयस्कग की उपलब्धता बढ़ाने के लिए-

(क) कोयला ब्लाइक के आवंटन को सरल बनाने के लिए दिनांक 30.03.2015 को'कोल माईन्सन (स्पेलशल प्रोविजंस) एमेंडमेंट एक्ट, 2015 अधिसूचित किया गया है।

(ख) खनन पट्टे के आवंटन को सरल एवं कारगर बनाने के लिए दिनांक 27.03.2015 को 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम , 2015 अधिसूचित किया गया है।

(iii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पाचत पर बेसिक सीमा शुल्क की उच्चततम दर10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

(iv) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग), स्टेनलैस स्टीमल (लांग)और नान-अलॉय लांग उत्पायद पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया तथा नान अलॉय और अन्यप अलॉय फ्लैट उत्पारदों पर यह शुल्के 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है। अगस्तद्र 2015 में पुन: संशोधित करके आयात शुल्क1 फ्लैट स्टीॉल पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत, लांग स्टीशल पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और सेमी फिनिश्ड स्टीयल पर7.5 से 10 प्रतिशत किया गया है।

(v) रिबार्स का आयात केवल 'इस्पा2त उत्पा्द गुणवत्ताप नियंत्रण आदेश, 2012' के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नवम्बीर, 2014 में निर्देश जारी किए गए थे, ताकि बोरोन युक्त रिबार्स के सस्ते आयातों को रोका जा सके।

(vi) सरकार ने जून, 2015 में स्टेमनलैस स्टीएल के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्डल फ्लैट उत्पाादों के चीन ($ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।

(vii) सरकार ने सितम्बरद्र 2015 में 200 दिनों की अवधि के लिए 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वा यलों में नान अलॉय और अन्य5 अलॉय स्टीगल के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पा्दों पर 20 प्रतिशत का अनन्तिम सुरक्षोपाय शुल्कल लगायहै।

(viii) दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना के जरिये 173 इस्पा त उत्पालदों पर न्यू0नतम आयात मूल्यi (एमआईपी) की शर्त लगाई गई है। इस अधिसूचना के तहत शामिल की गई मदों का इस देश में आयात अधिसूचित मूल्यम से कम पस्करने की अनुमति नही होगी।

(ix) इस्पायत क्षेत्र में दबाव को कम करने के लिए आरबीआई ने जुलाई, 2015 में 5:25 स्कीम लागू की है जिसके द्वारा अवसरंचना और प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में परियोजनाओं को ऋण चुकाने के लिए लंबी अवधि यथा 25 वर्ष की अनुमति परियोजना के आर्थिक कार्यशील जीवन अथवा परियोजना की रियायत अवधि के आधार पर 5 वर्षों के आवधिक पुनर्वित्तपपोषण के साथ होगी।

***